दिनांक 09.09.2017 को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण व अन्य योजनाओं का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति पंजीकृत –

उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं प्रखण्ड समन्वयक, PMU का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई –

जनसंवाद

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया गया कि जनसंवाद के लंबित मामलों की समीक्षा करें और 07 दिनों के अन्दर मामले का निपटारा करें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक 25% मामलों पर Action लिया गया है। जनसंवाद के मामले के निपटारे के लिये विभाग में अगर विशेष दूत भेजने की आवश्यकता हो तो भेजें और मामले को Drop करायें। मनरेगा योजना से संबंधित यदि पुराने योजना का मामला है और वो योजना MIS में Close हो गया है तो उसे Open करायें और Disposed करें। इसके लिये State से Permission की जरूरत हो तो लें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मामले को स्वयं देखें। आज की बैठक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को जनसंवाद के मामले के प्रति Folder के साथ देते हुए निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी मामलों को निष्पादित करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत सर्वप्रथम पंजीकरण, जियो टैग, स्वीकृत आवास, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त एवं चतुर्थ किस्त की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सरकार के निदेशानुसार माह नवम्बर में गृह प्रवेश सप्ताह मनाना है। इसके लिये आवास योजना को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाना है। आवास योजना में मनरेगा योजना से शौचालय स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ कराना है। आवास पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत् गैस उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत् निःशुल्क बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रखण्ड समन्वयक वित्तीय वर्ष–2016–17 के सभी लाभुकों के पास आवास के सत्यापन के लिये जायेंगे और गुणवत्ता के जाँच करेंगे। आवास की गुणवत्ता अच्छी हो, निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हो इसका ध्यान रखेंगे।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि 15 सितम्बर,2017 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में तृतीय किस्त का भुगतान 100% हो जानी चाहिए। अन्यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी। तृतीय किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे महत्वपूर्ण किस्त है। तृतीय किस्त के भुगतान पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना की पूर्णता निर्भर है।

सभी प्रखण्डों में जिले से प्रतिनियुक्त टैग पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आप मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रखण्ड जायें और द्वितीय एवं तृतीय किस्त तथा तृतीय किस्त एवं चतुर्थ किस्त के बीच जो गैप है इसे यथाशीघ्र दूर करें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आवास योजना में मनरेगा का डिमांड समय पर Generate नहीं हो पा रहा है इसलिये आवास

निर्माण की पूर्णता की गति Low है। आवास योजना में Step by Step Mandays Generate करते जायें जिससे की आवास योजना पूर्ण दिखे और मनरेगा में योजना में Ongoing दिखे। Mandays Generate नहीं होने के कारण आवास की योजना स्वीकृत तो दिखती है पर कार्य प्रारंभ नहीं दिखता है। यदि आवास योजना में 95 Mandays Generate नहीं होगा तो आवास पूर्ण नहीं दिखेगा। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया Target का Entry कराना है। यदि डिमांड Generate होगा तो मनरेगा में Mandays बढ़ता हुआ दिखेगा। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखण्ड समन्वयक को प्रत्येक दिन समीक्षा करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह निदेश दिया गया कि आवास योजना में अगले किस्त भुगतान के पूर्व डिमांड Generate कर दें। टैग पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदा0, प्र0कार्य0पदा0 एवं प्र0 समन्वयक Mandays Generate की समीक्षा करेंगे।

प्रतिवेदन के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रखण्डवार रैंकिंग की गयी जिसमें प्रथम स्थान जमुआ, द्वितीय स्थान सरिया, तृतीय स्थान धनवार प्रखण्ड का है। शेष प्रखण्डों में गति लाने का निदेश दिया गया।

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी आवास योजना के लाभुकों को मनरेगा से शौचालय स्वीकृत कराना सुनिश्चित करेंगे। जैसे-जैसे आवास योजना में कार्य होता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार शौचालय की योजना में भी कार्य होना है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रधानमंत्री आवास योजना को हर हाल में 30 सितम्बर,2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप आवासों का निबंधन,जियो टैग स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त का शत प्रतिशत FTO दिनांक 15 सितम्बर, 2017 करना सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड स्तर पर आवास योजना का Monitoring के लिये GRS,PS एवं स्वयं सेवक के साथ पर्यवेक्षक का टैगिंग है, उनके द्वारा स्थल पर पहुँच कर Step by Step Monitoring नहीं किया गया। Inspection Report का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा नहीं की जा रही है जबकि आवास योजना में सहयोग हेतु सभी प्रखण्डों में प्रखण्ड समन्वयक एवं लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ पर्याप्त मात्रा में आकस्मिकता की राशि उपलब्ध करायी गयी है। फिर भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवास योजना की प्रगति में रूचि नहीं ले रहे हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्य जिले से विभिन्न प्रखण्डों में प्रतिनियुक्त टैग पदाधिकारी के द्वारा किये जा रहे हैं। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवास योजना के पूर्णता लाने में रूचि दिखायें। चूँकि सरकार स्तर से नवम्बर के प्रथम सप्ताह में गृह प्रवेश पखवाड़ा मनाया जाना है।

जिस-जिस प्रखण्डों में Zero अथवा 01 कमरा वाले लाभुक नहीं हैं तो 02 कमरा वाले कोटिवार सूची प्रमाण पत्र के साथ जिला को स्वीकृति के लिये उपलब्ध करायेंगे। Target को Revise करने की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव दें।

लम्बित इन्दिरा आवास

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक लम्बित इंदिरा आवास योजना की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड-बेंगाबाद,देवरी एवं तिसरी लम्बित इन्दिरा आवास की संख्या ज्यादा है।

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी समीक्षा करें अपने-अपने प्रखण्डों में लम्बित इंदिरा आवास की समीक्षा करें। शौचालय के लिये जो आवास लम्बित पड़े हैं वैसे आवासों में मनरेगा से शौचालय स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक 281 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना पूर्ण है जबकि 159 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना का ही MIS में Close किया गया है। MIS के लिये प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार हैं। कुल 617 योजना का ढलाई कार्य पूर्ण हैं इसे जल्द से जल्द पूर्ण कराते हुए MIS में बंद कराने का निदेश दिया गया। हर हाल में 30 सितम्बर,2017 तक आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि मार्च के महीने में कोषागार से सामग्री मद की राशि की निकासी कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपनी रोकड़ बही में रखे हुए हैं। यह वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। पूर्व में भी इस आशय की चेतावनी दी जा चुकी है। निदेश दिया गया कि 15 सितम्बर,2017 तक निकासी की गयी राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने सभी Machinery को Gearup करें। इस संबंध में कोई Excuse नहीं चलेगा। इसके लिये Responsibility Fixed की जायेगी। निकासी की गयी राशि के भुगतान के लिये जिला स्तर से सभी प्रखण्डों हेतु Special Audit Team बनाने का निदेश दिया गया। Special Audit Team 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना के समीक्षा के क्रम में धीमी प्रगति के कारण जमुआ एवं गाण्डेय प्रखण्ड के सहायक अभियंता का वेतन बंद करने का निदेश दिया गया।

डोभा निर्माण

डोभा निर्माण योजना के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि 2 फीट एवं 4 फीट डोभा निर्माण योजना को शून्य करना है। 6 फीट एवं 8 फीट डोभा निर्माण योजना को यथाशीघ्र पूर्ण करना है। 15 सितम्बर तक डोभा निर्माण योजना पूर्ण हो जानी चाहिए। प्रखण्डवार प्रतिदिन Close करने का लक्ष्य दिया गया। अब तक 10382 डोभा निर्माण योजना भौतिक रूप से पूर्ण है परन्तु 9477 योजना का ही MIS अब तक हुआ है।

Daily Check list for MGNREGA Works

Average Work Per Village के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गाण्डेय,गावाँ,गिरिडीह एवं तिसरी प्रखण्ड की स्थिति अत्यंत खराब है। इन प्रखण्डों में Average Work per Village 01 से कम है। विगत कई बैठकों में निदेश दिये जाते रहे हैं कि प्रत्येक ग्रामों में मनरेगा की 05 योजना क्रियान्वित रहनी चाहिए। इसके लिये प्रत्येक पंचायत में 25 NADEP एवं 25 वर्मी कम्पोष्ट की योजना ली जाय। NADEP एवं वर्मी कम्पोष्ट की योजना के अलावे IHHL, 30X40 Model, Plantation, Shed, Land Laveling की योजना स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ करायें। बरसात के कारण कई जगहों पर आवागमन के लिये रोड की आवश्यकता होगी, आवश्यकतानुसार मिट्टी मोरम की योजना कार्यान्वित करायें।

समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नीचे दिये गये प्रपत्र में प्रतिदिन J.E. Wise प्रतिवेदन समर्पित करेंगे :-

Name of JE :_____ Mobile No:_____

Block :_____ Allotted Gram Panchayat :_____

Name of GP	No. of AWC		No. of Dobha		IHHL		NADEP		Vermi Compost		Road (Morrum)		Other	
	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.

_____

Signature of JE

DBT

DBT के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सरिया, देवरी, बगोदर एवं गाण्डेय प्रखण्डों की स्थिति अच्छी नहीं है। 15,834 डी0बी0टी0 अब तक लंबित है। पूरे जिले का Achievement 90.37% है। आगामी बैठक तक लंबित DBT को हर हाल में पूरा कर लिया जाना है। इसे हर हाल में पूरा कर लिया जाना है।

जियो टैगिंग

जियो टैगिंग के समीक्षा के कम में पाया गया कि Complete work एवं जियो टैग के बीच बेंगाबाद, देवरी, डुमरी, गावाँ, जमुआ एवं पीरटांड की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि 15 सितम्बर, 2017 के पहले अभियान चलाकर 100% जियो टैग करना सुनिश्चित करें।

Geo-MGNREGA Phase-II

Phase II Before Asset Creation

Sl.No.	Block Name	Total	Yet to be Moderated	Moderated	Accepted	Rejected
1	Tisri	2	1	1	1	0
2	Bengabad	13	0	13	13	0
3	Giridih	45	0	45	37	8
4	Dhanwar	23	0	23	22	1
5	Deori	29	3	26	25	1
6	Pirtand	12	0	12	12	0
7	Dumri	9	2	7	7	0
8	Birni	13	0	13	13	0
9	Suriya	1	0	1	1	0
10	Jamua	16	5	11	10	1
11	Gandey	71	0	71	71	0
12	Bagodar	8	2	6	5	1
13	Gawan	19	1	18	18	0
Total		**261**	**14**	**247**	**235**	**12**

Geo-MGNREGA Phase-II के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गाण्डेय की स्थिति सबसे अव्वल है। गाण्डेय प्रखण्ड के द्वारा अब तक कुल 71 योजनाओं का Phase-II के अन्तर्गत 1st Stage का जियो टैग कर लिया गया है। गिरिडीह प्रखण्ड के द्वारा 45, धनवार के द्वारा 23, देवरी के द्वारा 29 एवं गावाँ प्रखण्ड के द्वारा 19 योजनाओं का Phase-II के अन्तर्गत 1st Stage का जियो टैग कर लिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि Geo-MGNREGA Phase-II के लिये झारखण्ड राज्य से एक मात्र जिला गिरिडीह का चयन किया गया है। अतः Geo-MGNREGA Phase-II में लगातार गति लाने की जरूरत है।

Scheme pending

Scheme pending की समीक्षा के कम में निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की सभी योजना को एम0आई0एस0 में बन्द करें। पूर्व के सप्ताहिक बैठकों में भी लगातार निदेश दिये जाते रहे हैं परन्तु निदेश के बावजूद भी बेंगाबाद,बिरनी, देवरी, गाण्डेय, गावाँ, गिरिडीह, जमुआ, पीरटांड,सरिया एवं तिसरी प्रखण्डों में लम्बित योजना की संख्या ज्यादा है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की सभी योजना को भौतिक रूप से पूर्ण कराते हुए MIS में बंद करें।

Delayed Payment

Delayed Payment के समीक्षा के कम में पाया गया कि बेंगाबाद, धनवार, देवरी, गाण्डेय, डुमरी, गावाँ, गिरिडीह एवं तिसरी प्रखण्डों का आँकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इन प्रखण्डों में Delayed Payment का प्रतिशत 05 से ज्यादा है। इस

पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में Delayed Payment का आँकड़ा 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। समीक्षा के कम में कई गत बैठक में निदेश दिया गया था कि पूर्व में दिये गये आदेशों का अब तक अनुपालन नहीं हुआ है। प्रखण्ड नजारत में अब तक वसूल कर जमा की गई राशि का ब्यौरा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 07 दिनों में जमा करेंगे। यदि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित से **Delay Payment** हेतु 05 दिनों के अन्दर अर्थ दण्ड लगाकर राशि वसूल नहीं कि जाती है तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के ऊपर 1,000/- का अर्थदण्ड लगेगा और राशि वेतन से काटी जाएगी।

अन्यान्य

उपायुक्त, गिरिडीह के द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार एक हजार दिन पूरे होने के उपलक्ष्य पर 11 सितम्बर से 22 सितम्बर, 2017 तक Celebrate कर रही है। इसके लिये प्रत्येक जिले में गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया जाना है। इस जिले में 18.09.2017 को गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें परिसम्पति का वितरण, नियुक्ति पत्र का वितरण, नई योजनाओं का उद्घाटन आदि सम्मिलित हैं। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दियां गया कि प्रखण्ड स्तर पर भी गरीब कल्याण मेला का आयोजन करें जिसमें परिसम्पति का वितरण, नियुक्ति पत्र का वितरण, नई योजनाओं का उद्घाटन आदि की Activity सम्मिलित करें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी, तिसरी एवं गावाँ को निदेश दिया गया कि जिला नियोजन पदाधिकारी आप तीनों प्रखण्डों से सम्पर्क स्थापित करेंगे। तीनों प्रखण्डों में रोजगार मेला लगाया जाना है जिसका उद्देश्य यह है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराया जा सके। इस संबंध में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को भी निदेशित किया जा चुका है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि रोजगार मेले के आयोजन में यदि छोटी छोटी राशि वहन करने की स्थिति आये तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राशि वहन करेंगे।

उपायुक्त महोदय के द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर में इस जिले के लिये दस हजार शौचालय की योजना स्वीकृत कराकर MIS में प्रविष्टि किया जाना है। इस संबंध में उपायुक्त महोदय के द्वारा बताया गया कि लक्ष्य को पूरा करने में जो भी सुविधा की जरूरत हो उसे उपलब्ध कराया जायेगा

उपायुक्त महोदय के द्वारा समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि पंचायत भवनों को पूर्ण रूपेण कार्यशील किया जाय इसके लिये सभी लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटरों को कलस्टर पंचायतों में पदस्थापित किया जाय। 14वीं वित्त की 10 प्रतिशत की राशि द्वारा उनके कार्य करने हेतु आवश्यक सुविधा (कम्प्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, टेबल,कुर्सी इत्यादि) की व्यवस्था करायी जाए। प्रज्ञा केन्द्रों को संबंधित पंचायत के पंचायत सचिवालयों में अधिष्ठापित किया जाए। पंचायतों में पेयजल, शौचालय इत्यादि की समुचित रख-रखाव की व्यवस्था की जाय। पूर्ण पंचायत भवनों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाय।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 14वें वित्त अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर 2016-17 की शत प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला को उपलब्ध कराया

जाय। समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 14वीं वित्त की राशि से Portable माईक साउण्ड सिस्टम एवं Portable Projector पंचायत भवन के लिये 16 सितम्बर, 2017 तक आवश्यक रूप से क्रय कर लें। साथ ही निदेश दिया गया कि प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र में Handwash Unit स्थापित करें। पंचायत के प्रत्येक स्कूल में 14वीं वित्त की राशि से शौचालय हेतु फिनाईल,एसिड,सर्फ, साबुन आदि की व्यवस्था करें। साथ ही सफाई कर्मचारी के वेतन का भुगतान करें।

अंत में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

9/9/17

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।
09.09.17

ज्ञापांक 2463 /अभि0,गिरिडीह, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवांटित प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेवसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

9/9/17

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।
09.09.17